सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/16 निर्णय दिनांकः—04.05.2018

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री खजानसिंह जाति धानक निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 27—03—2000
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 27—03—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 10 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 103/59 की भूमि विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु तहसील खाजुवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने के बाद अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर

खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 22—07—16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में व अपीलांट की अनुपस्थिति में खारिज किया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—03—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—07—2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष चक 10 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 103/59 की भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच के उपरान्त अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 27—03—2000 समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किये गये।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को स्वयं उपस्थित होने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। किन्तु अपीलांट नियत दिनांक को आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अदालत मातहत पारित अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलांट बावजूद सूचना आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से इस आधार पर खारिज किया गया है कि ''**प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थिति।**'' जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 27—03—2000 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर